

लिखे गये हैं। अतः इनके रखरखाव नम्बर को
 प्रा. पत्रा में दर्ज कर उम्दा विवादात्मक मुद्दों
 के संबंध में अनायेदलगत को जरिअ
 अलवाई निषेधाज्ञा से मोके की अखारिअली
 बनाये रखने हेतु बांध लिखा जावे।
 पत्रावली व अखवध दरतावेजों का अखलीअत
 लिखा गया। पत्रावली वलीअत में लली
 के स्तर पर है तथा कोई प्रभावी कार्रवाई
 नहीं हुई है। अतः प्रा. पत्रा 06 R 17 ललीअत
 लिखा जाकर प्रा. पत्रा में अखवध रखरखाव
 नम्बर लाल रखाई से लिखा जावे। अखलीअत द्वारा जारी
 आदेश फिलॉ 11.01.2024 को अखवध लिखा जाता है।

तथा ग्राम झाझड़ में लिखत मुद्दों रखरखाव
 नम्बर 2250/264, 2251/264, 265, 267,
 268, 269 व 270 के संबंध में अनायेदलगत
 को जरिअ अलवाई निषेधाज्ञा से बांध
 लिखा जाता है कि प्राची के कवजे अखत
 तक की मुद्दों के मोके की अखारिअली
 बनाये रखे। उम्दा आदेश यालू, प्रचलित,
 अखलीअत व रिक्वेडिट रोस्तों पर प्रभावी
 नहीं होगा। पत्रावली वास्तु लली हेतु
 9/2/24 को पेश हो।

ए.सी.ई.एम. (फा. दे.)
 नवलगढ

9/2/24

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली तलबी के स्तर
 पर विचाराधीन है आवश्यक पत्रना हेतु
 फिलॉ 28/3/2024 को पेश हो।

ए.सी.ई.एम. (फा. दे.)

5/3/24 पत्रावली अखत तारिअ-पेशी पर प्रा. पत्रा अखत
 अखत लली पेश होने पर लिखत की गरि।
 अनायेदल अधिवक्ता की ओर से प्रा. पत्रा
 अलवाई निषेधाज्ञा को not press कर आगे
 चलाना जाहिर लिखा। अतः अखलीअत को
 इसी स्तर पर अखरिअ लिखा जाता है। पत्रावली
 फिलॉ 28/3/2024 को प्रा. पत्रा से अखत हो
 तथा अखत तलबीअत जाहल दरतावेज अखत हो।

अखलीअत
 ए.सी.ई.एम.

ए.सी.ई.एम. (फा. दे.)
 नवलगढ